



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266401
CG-DL-E-25092025-266401

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4191]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947

No. 4191]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2025

का.आ. 4309(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में NH130A के कि.मी.70.800 से कि.मी.96.200 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पंडरिया जिला कबीरधाम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में NH130A के कि.मी. 70.800 से कि.मी.96.200 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: कबीरधाम		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पंडरिया					
गांव का नाम: रौहा					
1	125	निजी	कृषि	0.101 (हेक्टेयर)	0.101
2	141/3	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
3	195/2	निजी	कृषि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
4	198/2	निजी	कृषि	0.048 (हेक्टेयर)	0.048
5	199	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
6	219	निजी	कृषि	0.072 (हेक्टेयर)	0.072
7	223/1	निजी	कृषि	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
8	229/1	निजी	कृषि	0.056 (हेक्टेयर)	0.056
गांव का नाम: मैनपुरा					
9	22/2	निजी	कृषि	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
10	60/2	निजी	कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
गांव का नाम: मझोली					
11	37/1	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
12	37/2	निजी	कृषि	0.089 (हेक्टेयर)	0.089
13	39	निजी	कृषि	0.105 (हेक्टेयर)	0.105
14	40	निजी	कृषि	0.051 (हेक्टेयर)	0.051
15	41/1	निजी	कृषि	0.189 (हेक्टेयर)	0.189
16	50/6	निजी	असिंचित कृषि	0.014 (हेक्टेयर)	0.014

17	50/9	निजी	असिंचित कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
18	51	निजी	कृषि	0.021 (हेक्टेयर)	0.021
19	71	सरकारी	गैर कृषि	0.405 (हेक्टेयर)	0.405
20	72/3	निजी	कृषि	0.146 (हेक्टेयर)	0.146
21	73/2	निजी	कृषि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
Total					1.467

[फा. सं. 12037/41/2016/CG/P-5/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2025

S.O.4309(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH130A in the stretch of land from Km 70.800 to Km 96.200 in the district of Kabirdham in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer(Revenue) Pandariya District Kabirdham in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 130A in the stretch of land from Km 70.800 to Km 96.200 of National Highway No. 130A in the state of Chhattisgarh

State: CHHATTISGARH			District: KABIRDHAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pandariya					
Village: Rauha					
1	125	Private	Agriculture	0.101 (Hectare)	0.101
2	141/3	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01

3	195/2	Private	Agriculture	0.018 (Hectare)	0.018
4	198/2	Private	Agriculture	0.048 (Hectare)	0.048
5	199	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
6	219	Private	Agriculture	0.072 (Hectare)	0.072
7	223/1	Private	Agriculture	0.064 (Hectare)	0.064
8	229/1	Private	Agriculture	0.056 (Hectare)	0.056
Village: Mainpura					
9	22/2	Private	Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
10	60/2	Private	Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
Village: Majholi					
11	37/1	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
12	37/2	Private	Agriculture	0.089 (Hectare)	0.089
13	39	Private	Agriculture	0.105 (Hectare)	0.105
14	40	Private	Agriculture	0.051 (Hectare)	0.051
15	41/1	Private	Agriculture	0.189 (Hectare)	0.189
16	50/6	Private	Non Irrigated Agriculture	0.014 (Hectare)	0.014
17	50/9	Private	Non Irrigated Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
18	51	Private	Agriculture	0.021 (Hectare)	0.021
19	71	Government	Non Agriculture	0.405 (Hectare)	0.405
20	72/3	Private	Agriculture	0.146 (Hectare)	0.146
21	73/2	Private	Agriculture	0.008 (Hectare)	0.008
Total					1.467

[F. No. 12037/41/2016/CG/P-5/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director